संख्या-441/2026/आई/1340325/23-1-26/002-23-1002(002)/265/2026

प्रेषक,

अभिषेक गंगवार,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनांक 23 मई, 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजना के चालू कार्यों के लिए धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निम्नलिखित तालिका-1 में उल्लिखित पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पडने वाले मार्गों का निर्माण/चौडीकरण/सुदृढीकरण योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों के 06 चालू कार्यों पर अधोलिखित विवरण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में **तालिका-2 के अनुसार** कुल **रू0 23,00,00,000/- (रूपये तेईस करोड़ मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

तालिका-1

क्र0 सं0	विश्वकर्मा पोर्टल का पत्र संख्या	दिनांक
1	21098/CE-HQ1/ISC/BAN/2026-27	04-05-2026
2	21262/CE-HQ1/ISC/SAH/2026-27	11-05-2026
3	21343/CE-HQ1/ISC/BAR/2026-27	12-05-2026
4	21344/CE-HQ1/ISC/LKO/2026-27	12-05-2026
5	21401/CE-HQ1/ISC/AGR/2026-27	12-05-2026
6	21457/CE-HQ1/ISC/JHA/2026-27	14-05-2026

तालिका-2

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नि.ख.-2 बांदा	जनपद बांदा में झाँसी मिर्जापुर एन0एच0-76 से दांयी ओर दुरेढ़ी इटवा लोहरा होते हुए परमपुरवा सम्पर्क मार्ग के किमी0 1 से 7 तक (लम्बाई 7.000 किमी0) का	277/2025/आई/1087944/2025/23-11099-099-210-2025-दिनांक-13-09-2025	2055.63 2055.63 592.69 4.35 2051.28	616.69	1434.59	400.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
		चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य					
2	प्रा.ख. सहारनपुर	जनपद सहारनपुर में दिल्ली यमुनौत्री मार्ग (राज्य मार्ग-57) के कि0मी0-208 से 217 तक (लम्बाई 10.00 कि0मी0) का चैड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	283/2025/आई/1087954-दिनांक-13-09-2025	1834.54 1834.54 964.23 210.74 1623.80	825.36	798.44	250.00
3	प्रा.ख. पीलीभीत	जनपद पीलीभीत में पीलीभीत मझोला मार्ग (अ0जि0मा0) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 21.10 किमी0) ।	226/2023/प/362771/2023/23-11002(002)/84/2023, दि0-03.08.2023-दिनांक-03-08-2023	4515.01 4515.01 2581.79 981.01 3534.00	2680.26	853.74	400.00
4	नि.ख.-3 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में लखीमपुर-बिजुआ-भीरा-पलिया-दुधवा-गौरीफन्टा मार्ग (राज्य मार्ग सं0-90) के चैनेज 55.630 से 57.000 (लम्बाई 1.370 कि0मी0) में दोनों तरफ इण्टरलाकिंग टाईल्स का चैड़ीकरण का कार्य।	292/2025/आई/1096427/2025/23-11099(099)/226/2025-दिनांक-22-09-2025	273.22 273.22 145.61 70.34 202.88	67.60	135.28	50.00
5	प्रा.ख. मथुरा	जनपद मथुरा में फतिहा हथावली सनौरा ओल राजस्थान सीमा तक वाया बेरी (लम्बाई-16.750 किमी0) मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	201/2026/आई/1277154/23-1-26-001-23-11099-099/101/2025-दिनांक-23-03-2026	3296.85 3296.85 1776.02 716.25 2580.60	9.00	2571.60	400.00
6	नि.ख.-3 झांसी	जनपद झांसी में मोंठ-भाण्डेर मार्ग (अ0जि0मा0) कि0मी0 4 से भरोसा-छपार-पुलगहना-शाहजहांपुर-खजूरी-मध्य प्रदेश की सीमा (चैनेज 0.000 से चैनेज 11.200 एवं चैनेज 14.950 से चैनेज 20.500) तक मार्ग का दो लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण (लम्बाई 16.750 कि0मी0) कार्य	11/2025/आई/1165257/23-11099-099/229/2025-दिनांक-05-12-2025	5260.68 5260.68 3437.60 25.13 5235.55	1052.13	4183.42	800.00
						कुल योग-	**2300.00**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्तो/प्रतिबन्धों</u>

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश की समस्त शर्तो एवं प्रतिबन्ध का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किए जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निर्धारित प्रक्रिया एवं निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालपन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय कुल **रू0 23,00,00,000/- (रूपये तेईस करोड़ मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-58 लेखा शीर्षक 5054043371700 प्रदेश के अन्तर्राज्यीय/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर पड़ने वाले मार्गों का निर्माण/चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।